



दिनांक : 17.01.2022

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषय: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अधॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अगरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 885 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवाणिज्यी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-पी-350/81-2-2021-800(289)/2021, लखनऊ, दिनांक-22.12.2021

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति गौरी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके—

- 1- As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224.
- 2- Tree felling in Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part II uploaded and the details provided in proposal.
- 3- An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.
- 4- No objection certificate of concerned departments(Irrigation and Railways) needs to be submitted.
- 5- Revised NPV calculation as per order dated 06.01.2022 needs to be submitted
- 6- Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
- 7- As per part-ii of the proposal, under Social Forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahar, it is mentioned at column no. 10. "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion **Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : NIL**"

- 8- CA scheme and site suitability certificate for CA in DDFL has to be provided.
- 9- Why RF cannot be avoided, proper justification needs to be provided.
- 10- As per the .kml file the proposed area for diversion is 50.29 ha., but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha., mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.
- 11- .kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs to be submitted.
- 12- .kml file of alternate routes needs to be submitted.
- 13- The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha., which is less than the actual required CA land area.
- 14- As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur village and Pundhiyawan village. This needs rectification.
- 15- As per the .kml file, some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed for CA which are of area less than 1 ha.. Patches need to be in consolidated form.
- 16- Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.
- 17- The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Kutholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.
- 18- Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza, Covers over Rivers/ Canals/ Nalas, Pullia, Fly over & Interchanges etc. needs to be provided.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (डिजिटल हस्ता):

1. उपवन मुख्य वन संरक्षक(डॉ०), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ़।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र०, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को ईमेल/फैक्स पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्र।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-२/५२ /11-सी-FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 18, 2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद तथा प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र०, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।